विविध **बैंक प्रकरण संख्या 118/2019** (RCMS 2019/00195) भारतीय स्टेट बैंक शाखा–जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये राम प्रसाद मीणा, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक), द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स न्यू **एरा कॉस्मेंटिक शॉप जरिये प्रो. श्री मोहन लाल मक्कड़ पुत्र दीवान चंद निवासी दुकान नं. 18, सैक्टर नं.06, जवाहर नगर, नजदीक समाज कल्याण हॉस्टल, श्रीगंगानगर (राज.) एवं मकान नं. 31, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2019 को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स न्यू एरा कॉस्मेटिक शॉप – प्रो. मोहन लाल को ऋण सुविधा के रूप में 3.64 लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख चौंसठ हजार मात्र) का ऋण दिनांक 07.03.2013 को स्वीकृत किया गया है और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहन लाल की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 07.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 14.03.2018 को 3,56,163/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 14.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने को जारी किये गये। अप्रार्थी मैसर्स न्यू एरा कॉस्मेटिक शॉप– प्रो. मोहन लाल मक्कड को धारा 13(2) नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पेश की है। इसप्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई है। इसलिए अप्रार्थी मोहन लाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स न्यू एरा कॉस्मेंटिक शॉप –प्रो. मोहन लाल मक्कड़ को दिनांक 07.03.2013 को 3.64 लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख चौंसठ हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहन लाल मक्कड़ की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 07.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 14.03.2018 को रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया है एवं पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट के अनुसार अप्रार्थी मै. न्यू एरा कॉस्मेटिक शॉप–प्रो. मोहन लाल मक्कड़ को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी उनके द्वारा प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.03.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 14.03.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी मैसर्स न्यू एरा कॉस्मेटिक शॉप – प्रो. मोहन लाल मक्कड़ पर तामील हो चुकी है, परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मोहन लाल मक्कड़ की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी मोहन लाल मक्कड़ द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (27'9'' गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर